Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
No	Two years for direct recruits and promotees	(i) 50% by direct recruitment (ii) 50% by promotion	**Promotion :** From amongst Technical Clerks (Economics) in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Confirmation) consisting of: (1) Additional Economics or Statistical Adviser, Directorate of Economics and Statistics –Chairman (2) Deputy Secretary or Under Secretary (Economic Administration), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member (3) Chief Administrative Officer, Directorate of Economics and Statistics – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No. A-12018/6/2016-EA]

ABHIJIT CHAKRABORTY, Under Secy. (Economic Administration Division)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 167.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 2000 और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (सहायक) भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, **कार्यालय अधीक्षक समूह "ख" पद** भर्ती नियम, 2017 है |

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे|

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पद की संख्या.—**उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है|

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है|

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति:-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है : या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी|

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है|

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कार्यालय अधीक्षक	116* (2017)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है		साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह "ख") अराजपत्रित, अनुसचिवीय		वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400 रुपये)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्र तिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसेप्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) 80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा| (ii) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में उच्च श्रेणी लिपिकों को विभागीय लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिन्होनें इस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है|	**प्रोन्नति :-** (1) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500 रुपये) में उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है| (2) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली या राजीव गाँधी राष्ट्रीय भू जल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से दो से चार सप्ताह की सम्बन्धित क्षेत्र में अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया हो| **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक सेवा दो वर्ष से, इनमें से जो कि कम हो, कम नहीं और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो| प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालयों या स्वायत्त और कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी – (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुये है ; या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में स्तर-5 में पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो| **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होगें| इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र् नहीं होंगे| **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी| प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) तथा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति :- (प्रोन्नति पर विचार करने के लिये) 1. निदेशक (प्रशासन),केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक "घ" केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड जिसे अध्यक्ष केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा नामित किया गया हो -सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का एक अधिकारी जो वैज्ञानिक "घ" केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की पंक्ति से नीचे का न हो -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 21/04/2016-के.भू.ज.बो.]

रामेश्वर नाथ दीक्षित, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 26th April, 2017

G.S.R. 167.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Office Superintendent) Recruitment Rules, 2000 and Central Ground Water Board, Assistant Recruitment Rules,2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board, Office Superintendent Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Office Superintendent.	116*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'B'), non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35,400).	Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various method
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	i)Eighty per cent by promotion failing which by deputation including Short Term Contract; and ii)Twenty per cent by promotion on the basis of Departmental Competitive Written Test Examination from Upper Division Clerks in the Central Ground Water Board who have rendered five years regular service in the grade.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Upper Division Clerks in the Central Ground Water Board in Level-4 (Rs.25500) in the pay matrix with ten years regular service in the grade; and (ii) completed 2-4 weeks mandatory training in relevant field from Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi or Rajiv Gandhi National Ground Water Research and Training Institute, Raipur. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or	**Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:-** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Scientist 'D', Central Ground Water Board, as nominated by the Chairman, Central Ground Water Board –Member 3. An Officer of another Central Government Department not below the rank of Scientist 'D', Central Ground Water Board –Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. **Deputation (Including Short Term Contract)** Officers under the Central or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or recognized Research Institutions or Universities or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisation,- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the Parend Cadre or Department; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-5 in the pay matrix in the parent cadre or department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation(ISTC)including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 21/04/2016-CGWB]

R.N. DIXIT, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

सा.का.नि.168.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, हथौड़ा चालक, समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में हथौड़ा चालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में हथौड़ा चालक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।